

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2266
दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कैंसर की किफायती दवाइयां

2266. श्री भोला सिंह:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

डॉ. जयंत कुमार राय:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार इस से अवगत है कि देश में कैंसर रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष अनेक कारणों से वृद्धि हो रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा देश में कैंसर की किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (घ) क्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने देश में कैंसर की कतिपय दवाओं की मूल्य सीमा के संबंध में अधिसूचना जारी की है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) और (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) – राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत देश में पिछले तीन वर्ष से कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	2020	2021	2022
कैंसर के मामलों की अनुमानित घटना	13,92,179	14,26,447	14,61,427

(ग) से (ड): औषध विभाग (डीओपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डीपीसीओ, 2013 (एनएलईएम 2015 और 2022 के तहत) की अनुसूची-I में शामिल 131 कैंसर-रोधी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की अधिकतम कीमतें तय की हैं। इसके अलावा, एनपीपीए ने दिनांक 27 फरवरी, 2019 के आदेश का.आ. 1041 (अ) के तहत 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण' दृष्टिकोण के तहत 42 चुनिंदा गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के व्यापार मार्जिन पर एक सीमा निर्धारित की है। इस दृष्टिकोण से, इन दवाओं के 526 ब्रांडों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को 90% तक कम कर दिया गया है। इस कदम से रोगियों को लगभग 984 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई है। संशोधित कीमतों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(च): सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कैंसर के लिए अनुसूचित औषधियां एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमत से अधिक नहीं बेची जाती हैं और गैर-अनुसूचित दवाएं वार्षिक आधार पर एमआरपी को 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाती हैं। डीपीसीओ, 2013 इस आदेश के प्रावधानों को लागू करने में चूक के मामले में निर्माताओं द्वारा अधिप्रभार राशि जमा करने का प्रावधान करता है।
